सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
ज्येष्ठ 1, शुक्रवार, शाके 1942- मई 22, 2020	
Jyaistha 1, Friday , Saka 1942- May 22, 2020	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 22, 2020

संख्या प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75-पार्ट :-राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्या 38) की धारा 17क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा क्रमांक प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75-पार्ट दिनांक 05.05.2020 से जारी अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

1. ऊन पर कृषक कल्याण फीस की दर एक सौ रूपये पर शून्य होगी।
2. ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा एवं ईसबगोल पर कृषक कल्याण फीस की दर एक सौ रूपये पर 0.50 रूपये (पचास पैसे मात्र) होगी।
3. फल एवं सब्जी शीर्षक में सम्मिलित समस्त कृषि जिन्सों पर कृषक कल्याण फीस की दर पूर्ववत एक सौ रूपये पर 2.00 रूपये (दो रूपये मात्र) होगी।
4. अनुसूची में बताई गई अन्य सभी कृषि उपज पर कृषक कल्याण फीस की दर एक सौ रूपये पर 1.00 रूपये (एक रूपये मात्र) होगी।

उक्तानुसार कृषक कल्याण फीस की संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

डॉ.एस.पी. सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।